राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 4196 दिनांक : 24/9/14

आदेश

सां. आ. 97/14 नगरपालिका के ऐसे निर्वाचनों, जहाँ मत, मतदान मशीनों द्वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46–क के उप नियम (7) के उपबन्धों में यह प्रावधान है कि, उक्त नियम 46–क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र के संबंध में, इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त नियम 46–क के उप नियम (7) के उपबन्धों के अनुसरण में आदेश संख्या 3156 दिनांक 09.11.1999 (सां. आ. 34/99) जारी किया हुआ है।

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)( )Rules/DLB/14 दिनांक 11 जुलाई, 2014 के द्वारा मतपत्र में मतदाताओं को **"नोटा" (उपरोक्त में से कोई नहीं)** का विकल्प उपलब्ध कराने के कारण राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 34 में संशोधन किया गया है। अतः डाक मतपत्र में "नोटा" (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होने से आयोग के उक्त आदेश क्रमांक 3156 दि. 09.11.99 (सां. आ. सं. 34/99) में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. आदेश के बिन्दु संख्या–1 "नियम 46 के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यर्थी के नाम के सामने बालपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से "X" या "√" का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि, मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में दिया गया है" को "नियम 46 के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यर्थी अथवा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यर्थी के नाम अथवा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प के सामने बालपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से "X" या "√" का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के विकल्प को दिया गया है" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. आदेश के बिन्दु संख्या–2 "एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा" को "एक से अधिक अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी या नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

24/09/201

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 4197–4203 दिनांक : 24/9/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
3. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
4. रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
6. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक भाग 6(क) में तत्काल प्रकाशित करें।
7. समस्त अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
8. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

24.9.2014

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।